रजिस्ट्री सं. डीएल (एन)-04/0007/2003--05

REGISTERED No. DL(N)—04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 46] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 17—नवम्बर 23, 2012 (कार्तिक 26, 1934)

No. 46] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 17—NOVEMBER 23, 2012 (KARTIKA 26, 1934)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4
[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

भारतीय रिज़र्व बैंक

(गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग)

मुंबई-400005, दिनांक 14 सितम्बर 2012

सं. गैबैंपवि.250/मुमप्र (नीप्र)-2012--भारतीय रिज़र्व बैंक, जनता के हित में यह आवश्यक समझकर और इस बात से संतुष्ट होकर कि देश के हित में ऋण प्रणाली को विनियमित करने के लिए, बैंक को समर्थ बनाने के प्रयोजन से 22 फरवरी 2007 की अधिसूचना सं. डीएनबीएस. 192/डीजी (वीएल)-2007 में अंतविष्ट गैर- बैंकिंग वित्तीय (जमाराशियां स्वीकार करने या धारण करने वाली) कंपनी विवेकपूर्ण मानदण्ड (रिज़र्व बैंक) निदेश 2007 (इसके बाद इसे निदेश कहा जाएगा) को संशोधित करना आवश्यक है। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45ञ, 45 ञक तथा 45ठ द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस संबंध में प्राप्त समस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त निदेश को तत्काल प्रभाव से निम्नवत् संशोधित करने का निदेश देता है, यथा :--

1. पैरा 2 में संशोधन--

उप-पैरा (1) में, खण्ड (xii) के बाद, निम्नलिखित खण्ड (xiiए) जोड़े जाएंगे।

"(xiiए) 'गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनी-फैक्टर' अर्थात् भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झ के खण्ड (एफ) में परिभाषित गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी जिसका फैक्टरिंग कारोबार में वित्तीय परिसंपत्तियां कुल परिसंपत्तियों का कम से कम 75 प्रतिशत हो और फैक्टरिंग कारोबार से उत्पन्न आय इसके सकल आय के 75 प्रतिशत से कम न हो और जिसे फैक्टरिंग विनियम अधिनियम, 2011 की धारा 3 की उप धारा (1) के तहत् पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है।"

2. पैराग्राफ 15 में संशोधन--

पैरा 15 के अंतिम वाक्य के बाद निम्नलिखित वाक्य जोड़ा जाएगा :

"एनबीएफसी-फैक्टर, ऐसे प्रमाण में फैक्टरिंग विनियम अधिनियम, की धारा 3 के तहत् पंजीकरण प्रमाण पत्र धारण करने की आवश्यकता का उल्लेख होगा। प्रमाण पत्र में फैक्टरिंग परिसंपत्तियों का प्रतिशत तथा आय और कंपनी फैक्टरिंग विनियम अधिनियम के तहत् एनबीएफसी-फैक्टर के रूप में वर्गीकृत होने के लिए निर्धारित सभी शर्तें पूरी करती है इसका भी उल्लेख किया गया हो।"

उमा सुब्रमणियम

प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

सं. गैबैंपवि.251/मुमप्र (यूएस)-2012--भारतीय रिज़र्व बैंक, जनता के हित में यह आवश्यक समझकर और इस बात से संतुष्ट होकर कि देश के हित में ऋण प्रणाली को विनियमित करने के लिए, बैंक को समर्थ बनाने के प्रयोजन से 22 फरवरी 2007 की अधिसूचना सं.डीएनबीएस. 193/डीजी (वीएल)-2007 में अंतविष्ट गैर-बैंकिंग वित्तीय (जमाराशियां नहीं स्वीकार करने या नहीं धारण करने वाली) कंपनी विवेकपूर्ण मानदण्ड (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2007 (इसके बाद इसे निदेश कहा जाएगा) को संशोधित करना आवश्यक है। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45ञ, 45ञक तथा 45ठ द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस संबंध में प्राप्त समस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त निदेश को तत्काल प्रभाव से निम्नवत् संशोधित करने का निदेश देता है, यथा :--

1. पैरा 2 में संशोधन--

उप-पैरा (1) में, खण्ड (viiiए) के बाद, निम्नलिखित खण्ड (viiiबी) जोड़े जाएंगे।

"(viiiबी) 'गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनी-फैक्टर' अर्थात् भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झ के खण्ड (एफ) में परिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी जिसका फैक्टरिंग कारोबार में वित्तीय परिसंपत्तियां कुल परिसंपत्तियों का कम से कम 75 प्रतिशत हो और फैक्टरिंग कारोबार से उत्पन्न आय इसके सकल आय के 75 प्रतिशत से कम न हो और जिसे फैक्टरिंग विनियम अधिनियम, 2011 की धारा 3 के उप-धारा (1) के तहत् पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है।"

2. पैराग्राफ 15 में संशोधन--

पैरा 15 के अंतिम वाक्य के बाद निम्नलिखित वाक्य जोड़ा जाएगा :

"एनबीएफसी-फैक्टर, ऐसे प्रमाण में फैक्टरिंग विनियम अधिनियम, 2011 की धारा 3 के तहत् पंजीकरण प्रमाण पत्र धारण करने की आवश्यकता का उल्लेख होगा। प्रमाण पत्र में फैक्टरिंग परिसंपत्तियों का प्रतिशत तथा आय और कंपनी फैक्टरिंग विनियम अधिनियम के तहत् एनबीएफसी-फैक्टर के रूप में वर्गीकृत होने के लिए निर्धारित सभी शर्तें पूरी करती है इसका भी उल्लेख किया गया हो।"

उमा सुब्रमणियम
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

नई दिल्ली, दिनांक 22 अक्तूबर 2012

सं. एन-15/13/6/4/2012-यो. एवं वि.--कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम-1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 (1948 का 34) की धारा-46(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 01 दिसम्बर, 2012 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम-95क तथा केरल कर्मचारी राज्य बीमा नियम 1957 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ केरल राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किये जाएंगे, अर्थात् :--

क्रम. सं.	राजस्व ग्राम का नाम	तालुक	जिला
1.	चूलिश्शेरी	तृश्शूर	तृश्शूर
2.	पोट्टोर	तृश्शूर	तृश्शूर
3.	कैनूर	तृश्शूर	तृश्शूर
4.	पुत्तूर	तृश्शूर	तृश्शूर
5.	काटूर	मुकुन्दपुरम	तृश्शूर
6.	कोडश्शेरी	मुकुन्दपुरम	तृश्शूर
7.	मेत्तला	कोडुंगल्लूर	तृश्शूर
8.	कणिप्पयूर	तलप्पिल्ली	तृश्शूर
9.	अवणूर	तृश्शूर	तृश्शूर
10.	चिरमनंगाड	तलप्पिल्ली	तृश्शूर
11.	पोलपल्लि	पालक्काड	पालक्काड
12.	चात्तमंगलम	कोषिकोड	कोषिकोड
13.	पेरांब्रा	कोइलांडी	कोषिकोड
14.	मणियूर	वडकरा	कोषिकोड
15.	मेलमुरि	एर्नाड	मलप्पुरम
16.	कूटिलंगाडि	पेरिंतलमन्ना	मलप्पुरम
17.	कुषिपिल्ली	कोच्चिन	एर्नाकुलम
18.	पाल्लिपुरम	कोच्चिन	एर्नाकुलम
19.	कुन्नतुनाड	कुन्नतुनाड	एर्नाकुलम
20.	एनडिमंगलम	अडूर	पत्तनमतिट्टा
21.	कुलतुम्मेल	नेय्यट्टिनकरा	तिरूवनंतपुरम
22.	कुन्नतुकाल	नेय्यट्टिनकरा	तिरूवनंतपुरम
23.	आनावूर	नेय्यट्टिनकरा	तिरूवनंतपुरम
24.	वर्कला	चिरयिनकीष	तिरूवनंतपुरम
25.	पेरुमकुलम	नेडुमंगाड	तिरूवनंतपुरम
26.	मांगोड्	कोट्टारक्करा	कोल्लम
27.	इडमण	पत्तनापुरम	कोल्लम

एस. रविचन्द्रन
संयुकत निदेशक (यो. एवं वि.)

डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर (म. प्र.)

सागर, दिनांक 20 सितम्बर 2012

सं. आर/2012/392--केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 के परिनियम 11 में संशोधन

क्रम सं.	वर्तमान परिनियम	संशोधित
1.	11. कार्य परिषद् की बैठक के लिए कार्य परिषद् के पांच सदस्यों से गणपूर्ति होगी।	11(1) कार्य परिषद् में निम्नलिखित सदस्य होंगे -- (i) कुलपति (पदेन सभापति); (ii) सचिव या उनका नामित प्रतिनिधि, उच्च शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार (पदेन सदस्य); (iii) अध्यक्ष, यूजीसी या उनका प्रतिनिधि, जो संयुक्त सचिव के स्तर से निम्न पद का न हो (पदेन सदस्य); (iv) राज्य शासन के मुख्य सचिव या उनका प्रतिनिधि जो सचिव के स्तर से निम्न पद का न हो व उच्च शिक्षा से संबंधित मामलों से संबंधित हों, (पदेन सदस्य); (v) सम-कुलपति (पदेन सदस्य); (vi) कुलपति द्वारा नामित अध्ययन शालाओं के कोई दो अधिष्ठाता; (vii) कुलपति द्वारा नामित एक प्रोफेसर, जो अधिष्ठाता न हो; (viii) कुलपति द्वारा नामित एक सह-प्रोफेसर; (ix) कुलपति द्वारा नामित एक सहायक प्रोफेसर; (x) कुलाध्यक्ष (विजिटर) द्वारा नामित विश्वविद्यालय कोर्ट के दो सदस्य, जिनमें से कोई भी विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय से संबद्ध या मान्यता प्राप्त संस्था का छात्र या कर्मचारी न हो; (xi) कुलाध्यक्ष (विजिटर) द्वारा नामित चार ऐसे व्यक्ति, जो शैक्षणिक एवं सार्वजनिक जीवन में ख्याति प्राप्त हों; (2) कुलपति एवं सम-कुलपति को छोड़कर शेष सभी सदस्य तीन साल की अवधि के लिए पद धारण करेंगे; (3) कार्य परिषद् के कुल सदस्यों के आधे सदस्यों से, जिसमें कम से कम तीन बाहरी सदस्य, सभापति को छोड़कर, से कार्य परिषद् की बैठक की गणपूर्ति होगी।

अनुप केशवदेव पुजारी
कुलसचिव

RESERVE BANK OF INDIA
(DEPARTMENT OF NON-BANKING SUPERVISION)

Mumbai-400005, the 14th September 2012

No. DNBS 250/CGM(US)-2012—The Reserve Bank of India, having considered it necessary in public interest and being satisfied that, for the purpose of enabling the Bank to regulate the credit system to the advantage of the country, it is necessary to amend the Non-Banking Financial (Deposit Accepting or Holding) Companies Prudential Norms (Reserve Bank) Directions, 2007 contained in Notification No. DNBS. 192/DG(VL)-2007 dated February 22, 2007, (hereinafter referred to as the Directions), in exercise of the powers conferred by section 45J, 45JA and 45L of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934) and of all the powers enabling it in this behalf, hereby directs that the said Directions shall be amended with immediate effect as follows, namely—

1. Amendment of paragraph 2—

In sub-paragraph (1), after clause (xii), the following clause (xiia) shall be inserted.

"(xiia) 'Non-Banking Financial Company Factor' means a non-banking financial company as defined in clause (f) of Section 45-I of the RBI Act, 1934 having financial assets in the factoring business at least to the extent of 75 percent of its total assets and its income derived from factoring business is not less than 75 percent of its gross income and has been granted a certificate of registration under sub-section (1) of section 3 of the Factoring Regulation Act, 2011."

2. Amendment of paragraph 15—

In para 15, after the last sentence the following sentence shall be added :—

"For an NBFC-Factor, such certificate will indicate the requirement of holding the certificate of registration under section 3 of the Factoring Regulation Act. The certificate will also indicate the percentage of factoring assets and income, and that the company fulfils all conditions stipulated under the Factoring Regulation Act to be classified as an NBFC-Factor."

UMA SUBRAMANIAM
Chief General Manager-in-Charge

No. DNBS 251/CGM(US)-2012—The Reserve Bank of India, having considered it necessary in public interest and being satisfied that, for the purpose of enabling the Bank to regulate the credit system to the advantage of the country, it is necessary to amend the Non-Banking Financial (Non-Deposit Accepting or Holding) Companies Prudential Norms (Reserve Bank) Directions, 2007 contained in Notification No. DNBS. 193/DG(VL)-2007 dated February 22, 2007, (hereinafter referred to as the Directions), in exercise of the powers conferred by Sections 45J, 45JA and 45L of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934) and of all the powers enabling it in this behalf, hereby directs that the said Directions shall be amended with immediate effect as follows, namely—

1. Amendment of paragraph 2—

In sub-paragraph (1), after clause (viiia), the following clause (viiib) shall be inserted.

"(viiib) "Non-Banking Financial Company Factor' means a non-banking financial company as defined in clause (f) of section 45-I of the RBI Act, 1934 having financial assets in the factoring business at least to the extent of 75 percent of its total assets and its income derived from factoring business is not less than 75 percent of its gross income and has been granted a certificate of registration under sub-section (1) of section 3 of the Factoring Regulation Act, 2011."

2. Amendment of paragraph 15—

In para 15, after the last sentence the following sentence shall be added :—

"For an NBFC-Factor, such certificate will indicate the requirement of holding the certificate of registration under section 3 of the Factoring Regulation Act, 2011. The certificate will also indicate the percentage of factoring assets and income, and that the company fulfils all conditions stipulated under the Factoring Regulation Act to be classified as an NBFC-Factor."

UMA SUBRAMANIAM
Chief General Manager-in-Charge

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

New Delhi, the 22nd October 2012

No. N-15/13/6/4/2012-P&D—In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 1st November, 2012 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Kerala Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1958 shall be extended to the families of insured persons in the following areas in the State of Kerala, namely :—

Sl. No.	Name of the Revenue Villages	Taluka	District
1	2	3	4
1.	Choolissery	Thrissur	Thrissur
2.	Pottore	Thrissur	Thrissur
3.	Kainur	Thrissur	Thrissur
4.	Puthur	Thrissur	Thrissur
5.	Kattur	Mukundapuram	Thrissur
6.	Kodassery	Mukundapuram	Thrissur

1	2	3	4
7.	Methala	Kodungallur	Thrissur
8.	Kanippayyur	Thalappilly	Thrissur
9.	Avanur	Thrissur	Thrissur
10.	Chiramanangad	Thalapilly	Thrissur
11.	Polpally	Palakkad	Palakkad
12.	Chathamangalam	Kozhikode	Kozhikode
13.	Perambra	Quilandy	Kozhikode
14.	Maniyur	Vatakara	Kozhikode
15.	Melmuri	Ernad	Malappuram
16.	Kootilangadi	Perinthalmanna	Malappuram
17.	Kuzhippilly	Cochin	Ernakulam
18.	Pallippuram	Cochin	Ernakulam
19.	Kunnathunad	Kunnathunadu	Ernakulam
20.	Enadimangalam	Adoor	Pathanamthitta
21.	Kulathummel	Neyyattinkara	Thiruvananthapuram
22.	Kunnathukal	Neyyattinkara	Thiruvananthapuram
23.	Anavoor	Neyyattinkara	Thiruvananthapuram
24.	Varkala	Chirayinkeezhu	Thiruvananthapuram
25.	Perumkulam	Nedumangad	Thiruvananthapuram
26.	Mangodu	Kottarakkara	Kollam
27.	Edamon	Pathanapuram	Kollam

S. RAVICHANDRAN
Jt. Dir. (P&D)

DR. HARISINGH GOUR VISHWAVIDYALAYA, SAGAR (M.P.)

Sagar, the 20th September 2012

No. R/2012/392.—Amendment to Statute 11 of the Central Universities Act, 2009

Sl. No.	Existing	Amended
1.	11. Five members of the Executive Council shall form quorum for a meeting of the Executive Council.	11(1) The Executive Council shall consist of the following members namely : (i) Vice-Chancellor (Ex-officio Chairman); (ii) Secretary or his/her nominee, Department of Higher Education, MHRD, GoI (Ex-officio Member); (iii) Chairman, UGC or his/her nominee not below the rank of Joint Secretary (Ex-officio Member); (iv) Chief Secretary of the State Govt. or his/her nominee not below the rank of Secretary, preferably dealing with matters relating to Higher Education (Ex-officio Member); (v) Pro-Vice-Chancellor (Ex-officio Member); (vi) Two members from amongst Dean of Schools of Studies, to be appointed by the Vice-Chancellor; (vii) One Professor who is not a Dean, to be appointed by the Vice-Chancellor; (viii) One Associate Professor, to be appointed by the Vice-Chancellor; (ix) One Assistant Professor, to be appointed by the Vice-Chancellor; (x) Two members of the Court, none of whom shall be an employee or a student of the University or an institution recognized by or associated with the University, to be nominated by the Visitor; (xi) Four persons of distinction in academic and public life, to be nominated by the Visitor; (2) All the members of the Executive Council, other than the vice-Chancellor and Pro-Vice-Chancellor, shall hold office for a term of three years. (3) Half of the total members of the Executive Council, including at least three outside members, excluding the Chairman; shall form quorum for a meeting of the Executive Council.

ANUP KESHAVDEO PUJARI
Registrar

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2012
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2012
MGIPF—[Part III—Sec. 4]—140 Copies.